15.4.24 (29)
07.5.24 (26)
03.6.24 (53)
26/6/24

2024/16

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
सुखविन्द्र कौर बनाम परनीत कौर वगैरा
अपील प्रकरण सं0 04/2024

अधिवक्ता अपीलार्थी :— श्री इन्द्रजीत बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पोडेन्टसः—
मो.नम्बर :—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
15.02.2024	अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। पत्रावली में मियाद का बिन्दु सुरक्षित रखते हुए वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 14.03.2024 को पेश हो।	
14.3.24	पत्रावली पेश हुई। सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आईन्दा दिनांक 15.4.24 को पेश हो।	
15/4/2024	अधिवक्ता अपीलार्थीया उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थीया द्वारा प्रार्थना रेस्पोडेन्ट सं.02, को तर्क करने बाबत एवं रेस्पोडेन्ट सं.01 के सही बाबत पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। रेस्पोडेन्ट सं.02 का नाम अधिवक्ता अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र पर तर्क किया गया एवं रेस्पोडेन्ट सं.01 के सही पता का सम्मन तलवाना पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड तलबी हेतु दिनांक 07.5.2024 को पेश हो।	
07.5.24	पीठासीन अधिकारी अवकाश ~~भ्रमण~~ पर .... ~~कार्य में व्यस्त~~ है। पक्ष कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनाक 03.6.24 को पेश हो।	
03/6/24	~~बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण.~~ आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे है। पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनाक 26/6/24 को पेश हो	

Abt Bass

(Anupgarh Ex)

20/6/24

20/6/2024 अधिवक्ता अपीलार्थिया ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि अनवानी अपील श्रीमान न्यायालय में वास्ते तलबी एवं रिकॉर्ड हेतु विचाराधीन है। अपीलार्थिया का रेस्पोडेन्टस के बीच आपसी राजीनामा हो गया है जिसमें अब अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्टस को किसी प्रकार का ऐताराज नहीं है। उक्त अनवानी प्रकरण में राजीनामा होने के कारण उक्त अनवानी अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है एवं अधिवक्ता अपीलार्थिया ने अनवानी अपील को नोटप्रेस किया। अतः अपील पत्रावली को नोटप्रेस के आधार पर दाखिल दफतर फरमाई जावें।

फलस्वरूप अपीलार्थिया का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने एवं नोटप्रेस के कारण अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)